



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 137]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 5, 2004/श्रावण 14, 1926

No. 137]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 5, 2004/SRAVANA 14, 1926

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिसूचना

हैदराबाद, 30 जुलाई, 2004

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ता की ग्रामीण या सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बाध्यताएं) (संशोधन) विनियम, 2004

फा.सं.बी.वि.वि.प्रा./विनि./3/2004.—प्राधिकरण, बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 32ग के साथ पठित धारा 32ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीमा सलाहकार समिति के परामर्श से, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ता की ग्रामीण या सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बाध्यताएं) विनियम, 2002 (जिसे भारत के राजपत्र में फा.सं.बी.वि.वि.प्रा./विनि./10/2002 के अधीन 17 अक्टूबर, 2002 को अधिसूचित किया गया था) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ता की ग्रामीण या सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बाध्यताएं) (संशोधन) विनियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. "ग्रामीण क्षेत्र" की परिभाषा का संशोधन.— बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ता की ग्रामीण या सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बाध्यताएं) विनियम, 2002 के विनियम 2 के खण्ड (ग) में यथा अन्तर्दिष्ट "ग्रामीण क्षेत्र" की विद्यमान परिभाषा के स्थान पर निम्नलिखित परिभाषा रखी जाएगी :

"(ग) 'ग्रामीण क्षेत्र' से ऐसे स्थान या क्षेत्र अभिप्रेत हैं, जिन्हें अन्तिम दस वर्षीय जनगणना (भारत की जनगणना) करते समय 'ग्रामीण' के रूप में वर्गीकृत किया गया था।"

प्रबोध चन्द्र, पदाभिहित अधिकारी

[विज्ञापन-3/4/असाधारण/161/04]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY NOTIFICATION

Hyderabad, the 30th July, 2004

Insurance Regulatory and Development Authority (Obligations of Insurers to Rural or Social Sectors) (Amendment) Regulations, 2004

F. No. IRDA/Reg./3/2004.—In exercise of the powers conferred by Section 32B read with Section 32C of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the

following regulations to amend the Insurance Regulatory and Development Authority (Obligations of Insurers to Rural or Social Sectors) Regulations, 2002, (notified on October 17, 2002 in the Gazette of India. F. No. IRDA/Reg./10/2002) namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority (Obligations of Insurers to Rural or Social Sectors) (Amendment) Regulations, 2004.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of definition of "Rural Sector".—For the existing definition of "Rural Sector" as contained in clause (c) of Regulation 2 of the Insurance Regulatory and Development Authority (Obligations of Insurers to Rural or Social Sectors) Regulations, 2002, the following shall be substituted :

"(c) 'Rural Sector' means the places or areas classified as 'rural' while conducting the latest decennial population census (Census of India)."

PRABODH CHANDER, Designated Officer

[ADVT-3/4/Extraordinary/161A4